न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 86/2013

अमित कुमार पुत्र स्व. राजेन्द्र कुमार नागर जाति धाकड़ निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल .....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

01. नरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री कृष्णगोपाल यादव जाति जाटव निवासी मकान नं. 198 आर. के. पुरम कोटा जिला कोटा
02. धन्ना लाल नागर पुत्र अमर लाल जाति धाकड़ निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारा
03. सुरेन्द्र यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति यादव निवासी नाईयों का चौक, सीसवाली तहसील मांगरोल
04. सुधीन्द्र यादव एडवोकेट निवासी मकान नं. 2 प–5 टीचर्स कॉलोनी केशवपुरा कोटा जिला कोटा
05. दिनेश यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति यादव निवासी 6 जी 26 महावीर विस्तार योजना कोटा

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री अजीत कुमार जैन

वकील अप्रार्थीगण : श्री रामरतन गोचर

दायरा दिनांकः 26.12.2013

निर्णय दिनांक : 14.03.2022

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नं. 3353 जिसका पुराना नं. 1464, 1463, 1462 है उक्त भूमियां वर्तमान में शामलाती खाते में राजेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार, केदार बाई वगै0 के राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। इसी से लगवा हाल खसरा नं. 3354 उत्तरी ओर स्थित है तथा 3354 के पश्चिमी ओर 3353 स्थित है जिसका साबिक खसरा नं. 1465 है इस खसरा नं. 1465 के सामने मांगरोल सीसवाली सड़क स्थित है जिसका साबिक खसरा नं. 2630 है। यह कि उक्त भूमियों में पास खसरा नं. 3356 स्थित है जो अप्रार्थी नं. 5 व 3 के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। साबिक खसरा नं. 1465 पर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से ही 40 वर्षो से अधिक कब्जा चला आ रहा है। उक्त खसरा नं. पूर्व में मोडू लाल पुत्र मांगी लाल बैरवा के आवंटन हो गयी थी। लेकिन उक्त भूमियां राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा राजेन्द्र बनाम मोडू लाल में निरस्त कर दी गई है जिसके बाबत राजस्व मण्डल अजमेर से प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर रखा है लेकिन अप्रार्थीगण षडयन्त्रपूर्वक उक्त भूमियो पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका कि उनको कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है। यह कि उक्त भूमियों के उत्तरी ओर सरकारी सिवायचक भूमि जिसका साबिक खसरा नं. 1465 हाल खसरा नं. 3355 व 3354 है के दक्षिणी ओर 3356 व 3353 की मेड पर सरकारी धोरा खुदा हुआ है जिससे प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण कम नं. 3 ता 5 उक्त भूमियों में पानी लेते है लेकिन अप्रार्थी कम 1 ता

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner

, 6 व 7 से मिलीभगत कर 3355 व 3354 के मध्य जबरन प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि में धोरा खोदना चाहते है जिसका कि उनको कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है। यह कि अप्रार्थीगण ने जबरन मिलीभगत कर दिनांक 03.11.2012 को प्रार्थीगण के कब्जे की साबिक खसरा नं. 1465 व 2630 के बीच में 03 फीट चौडा धौरा पूरी लम्बाई से जबरन खुदवा दिया था जिसको प्रार्थी ने बंद करवाने हेतु अपने अधिवक्ता बाबू लाल जैन एडवोकेट से नोटिस दिनांक 06.11.2012 को दिलवाया और कहा कि नोटिस प्राप्ति के 07 दिन बाद अवैध रूप से खुदवाये धौरे को बंद करे अन्यथा मियाद गुजरने नोटिस बाद सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना पडेगा उस वक्त तो अप्रार्थीगण मान गये लेकिन पुनः उन्होने मौका मिलते ही धौरा खोदने की धमकी दी जिसका कि उनको कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है। यह कि दिनांक 30.10.2013 को अप्रार्थीगण खसरा नं. 2630 व साबिक खसरा नं. 1465 पर जे.सी.बी. मशीन लेकर धौरा खोदने की नीयत से अप्रार्थी कम 1 ता 5 आ गये तथा 1465 तथा 2630 के मध्य जे.सी.बी. मशीन से धौरा खोदने पर आमदा हो गये तथा जबरन खसरा नं. 1465 की भूमि पर कब्जा करने की नीयत से दक्षिणी ओर स्थित धौरे को मिटाकर नया धौरा कायम करने में आमादा हो गये जब प्रार्थीगण ने उकत धौरा खोदने से मना किया तो मारपीट करने की धमकी देने लगे जिसका कि उनको कोई कानूनी धिकरात हासित नही है इस प्रकार अप्रार्थीगण जबरान खसरा नं. 2630 मांगरोल सीसवाली रोडऋ व 3354 व 3355 पर जबरन धौरा खोदना चाहते है जिसका कि उन्को कोई कानूनी अधिकारात हासिल नही है । अगर अप्रार्थीगण अपने गीत उद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्त किसी भी रूप में संभव नही है इसलिए अप्रार्थीगण को अपने गलत उद्देश्य मे कामयाब होने से रोकने के लिए ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना अति आवश्यक है जिसके प्रार्थीगण अधिकारी तथा नालिशी भी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी कम 1 ता 5 को ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञज्ञ से पाबंद फरमाया जावे कि खसरा नं. 1465 व 2630 के मध्य किसी भी प्रकार का कोई नये धौरे का निर्माण नही करे तथा 3356 व 3353 की मेड पर उत्तरी ओर सरकारी धौरे को नही बिगाडे तथा शांतिपूर्वक उक्त धौरे का उपयोग व उपभोग कर पानी लेने देवे तथा खसरा नं. 3354, 3355 साबिक नं. 1465 के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न तो स्वयं करे एवं न ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 26.12.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मौका एवं रिकोर्ड की यथास्थिति का अंतरीम स्थगन जारी किया गया साथ ही अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 5 की ओर से वकिल श्री रामरतन गोचर द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। प्रर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी जवाब नही देने पर जवाब बंद किया गया।

बहस हेतु प्रर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकिल प्रार्थी द्वारा उन्ही तथ्यो को दौहराया गया जो प्रार्थना पत्र में वर्णित है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

Scanned with CamScanner

प्रथम दृष्टया मामला : प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण कम 1 ता 5 के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है कि अप्रार्थी कम 1 ता 5 खसरा नं. 1465 व 2630 के मध्य किसी प्रकार के नए धोरे का निर्माण नहीं करे तथ 3356 व 3353 की मेड़ पर उत्तरी ओर स्थित सरकारी धोरे को नहीं बिगाडे तथा शांतिपूर्वक उक्त धोरे का उपयोग व उपभोग कर पानी लेने देवे तथा खसरा नं. 3354, 3355 साबिक खसरा नं. 1465 के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न करे। यहा यह स्पष्ट है कि खसरा नं. 1465, 2630 आदि सरकारी खसरा नं. है। साथ ही प्रकरण में सरकारी धोरे के संबंध में रिलीफ चाही है। परंतु प्रार्थना पत्र में न तहसीलदार मांगरोल एवं न ही सीएडी विभाग को पक्षकार बनाया है ऐसी स्थिति में बिना विधिक पक्षकार की सुनवाई के इन खसरो के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नही होता है।

2. अपूर्णनीय क्षति : प्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि पर न चाहकर सरकारी भूमि में कब्जे काश्त के संबंध में निषेधाज्ञा चाही है, जिससे अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न ही नही उठता है। ऐसी स्थिति में अपूर्णनीय क्षति बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।
3. सुविधा का संतुलन : चूंकि प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नही है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, एक पक्षीय बहस वकील, राजस्व रिकोर्ड एवं उक्त तीनो बिन्दुओ की विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner